



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939

No. 375]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2017

सा.का.नि. 471(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्याह्न भोजन नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्याह्न भोजन (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मध्याह्न भोजन नियमों के नियम 5 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:—

“(2) प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ तरीके से भोजन बनाने की सुविधा होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों, चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों जहां सड़क समकेंद्रता हो और स्कूलों के समूह वाले क्षेत्र अभिलाभ के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जब कभी अपेक्षित हो भोजन पकाने के लिए केन्द्रीकृत रसोईघर की सुविधा का उपयोग कर सकेगा और केवल संबंधित स्कूल के बालकों को ही भोजन परोसना होगा।”

[फा. सं. 1-6/2009-डेस्क (एमडीएम)]

अजय तिकी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 743(अ), तारीख 30 सितंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, खण्ड-धारा (i) में प्रकाशित हुई थी।

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT****(Department of School Education and Literacy)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th May, 2017

**G.S.R. 471(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mid-Day Meal Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Mid-Day Meal (Amendment) Rules, 2017.  
(2) They come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mid-Day Meal rules, in Rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—  
“(2) Every school shall have the facility for cooking meal in hygienic manner and the schools in urban areas and in identified rural areas which have good road connectivity and viable cluster of schools, for the purpose of leveraging efficiency gains, may use the facility of centralised kitchens for cooking meals wherever required in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the meal shall be served to children at respective school only.”.

[F. No. 1-6/2009-Desk(MDM)]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 743(E), dated the 30th September, 2015.